न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09/2016
प्रविष्टि दिनांक 26.05.2016

सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

श्योचन्दा पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

.....अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 19.02.2018**

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.06.2015 से प्रतिपक्षी श्योचन्दा पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निवाई को दिनांक 24.01.1983 को ग्राम काचरिया तहसील निवाई के आराजी खसरा नम्बर 702/1/1 मे रकबा 2 बीघा भूमि का भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन निरस्त किये जाने पर प्रतिपक्षी ने व्यथित होकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहॉ अपील प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 06.04.2016 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि अपीलांट को आवंटित भूमि के संबंध मे सम्बधित तहसीलदार से मौके की वास्तविक स्थिति बाबत जांच रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार निवाई से जांच रिपोर्ट मंगवाई गये तथा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समति द्वारा दिनाक 24.01.1983 को अप्रार्थी को ख0न0 702/1/1 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम काचरिया तहसील निवाई मे आवंटन किया गया है। आवंटन भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। आवंटन पश्चात अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है और न ही आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना की है। अतः आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस मे कथन किया कि आवंटन उपरान्त कुछ वर्षो मे अकाल के कारण आवंटित भूमि को काश्त नही की गई है। अप्रार्थी ने आवंटन

जिला कलेक्टर
टोंक

शर्तो की पालना की है एंव वर्तमान मे अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी ने सम्वंत 2066 मे बाजरे की फसल काश्त की है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) मे सन् 1999 से यह संशोधन किया गया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर प्रोपरली काश्त होनी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी एंव पत्रावली का अध्ययन किया। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 24.01.1983 को ख0न0 702/1/1 मे 2 बीघा वाके ग्राम काचरिया तहसील निवाई का अप्रार्थी के हक मे आवंटन किया गया है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2060–2063 वाके ग्राम काचरिया तहसील निवाई मे ख0न0 702/10 रकबा 2 बीघा अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) मे सन् 1999 से यह संशोधन किया गया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर प्रोपरली काश्त होनी चाहिए। अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी तर्क है की आवंटन के पश्चात अकाल होने से आवंटित भूमि काश्त नही की गई है तथा सम्वंत 2066 मे बाजरे की फसल काश्त की गई है। तहसीलदार निवाई के पत्र क्रमांक 10490 दिनांक 15.12.2017 से प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 702/10 रकबा 2 बीघा मे से 15 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा जोत है तथा शेष भूमि पास मे स्थित एनीकट के भराव क्षेत्र मे आती है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2066 मे बाजरे की फसल काश्त दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा लगभग 27 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

फलतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी श्योचन्दा पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी काचरिया तहसील निवाई के हक मे दिनांक 24.01.1983 को ग्राम काचरिया की आराजी खसरा नम्बर 702/1/1रकबा 2 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर,टोंक